कार्यालय, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय परिसर, डाण्डा लाखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून– 248013

Website www.ukmssb.org, Mail ID ukmssbdun@gmail.com, Ph.N. 0135-2608566

विज्ञापन संख्या : 08/2016 विज्ञापन का दिनांक : 18,सितम्बर, 2016

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अन्तर्गत साधारण ग्रेड दन्त शल्यको के पदो का विस्तृत विवरण :–

1. उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून को उत्तराखण्ड दन्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड दन्त शल्यकों के 53 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से चयन किये जाने हेतु निम्नवत् अधियाचन प्राप्त हुआ है :–

क्र0स0	विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या				
			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल रिक्त पदों की संख्या
1	चिकित्सा विभाग	सधारण ग्रेड दन्त शल्यक	39	09	01	04	53
योग –			**39**	**09**	**01**	**04**	**53**

उपरोक्त पदों पर चयन हेतु उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्धारित क्षैतिज आरक्षण की स्थिति निम्नवत् प्रदान की गई है –

पदनाम व कुल अधियाचित पद	अनुसूचित जाति 09						अनु0जन–जाति 01						अन्य पिछड़ा वर्ग 04						सामान्य 39					
दन्त शल्यक	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्वतन्त्रता संग्राम सैo के आश्रित 2%	भूतपूर्व सैनिक 5%	विकलांग 3%	अन्य	कुल योग	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्वतन्त्रता संग्राम सैo के आश्रित 2%	भूतपूर्व सैनिक 5%	विकलांग 3%	अन्य	कुल योग	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्वतन्त्रता संग्राम सैo के आश्रित 2%	भूतपूर्व सैनिक 5%	विकलांग 3%	अन्य	कुल योग	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्वतन्त्रता संग्राम सैo के आश्रित 2%	भूतपूर्व सैनिक 5%	विकलांग 3%	अन्य	कुल योग
53	3	0	0	0	6	9	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	4	12	1	2	1	23	39

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून (उत्तराखण्ड)

2. उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून को उत्तराखण्ड दन्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड दन्त शल्यकों के 150

अधिसंख्यक (अतिरिक्त) पदों का सीधी भर्ती से चयन किये जाने हेतु निम्नानुसार अधियाचन प्राप्त हुआ है :–

क्र0स0	विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या				
			सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन–जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल रिक्त अधिसंख्यक पदों की संख्या
1	चिकित्सा विभाग	सधारण ग्रेड दन्त शल्यक	94	29	06	21	150
योग –			**94**	**29**	**06**	**21**	**150**

उपरोक्त पदों पर चयन हेतु उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्धारित क्षैतिज आरक्षण की स्थिति निम्नवत् है–:

पदनाम व कुल अधियाचित पद	अनुसूचित जाति 29						अनु0जन–जाति 06						अन्य पिछड़ा वर्ग 21						सामान्य 94					
अधिसंख्यक दन्त शल्यक	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्वतन्त्रता संग्राम सै0 के आश्रित 2%	भूतपूर्व सैनिक 5%	विकलांग 3%	अन्य	कुल योग	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्वतन्त्रता संग्राम सै0 के आश्रित 2%	भूतपूर्व सैनिक 5%	विकलांग 3%	अन्य	कुल योग	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्वतन्त्रता संग्राम सै0 के आश्रित 2%	भूतपूर्व सैनिक 5%	विकलांग 3%	अन्य	कुल योग	उत्तराखण्ड महिला 30%	स्वतन्त्रता संग्राम सै0 के आश्रित 2%	भूतपूर्व सैनिक 5%	विकलांग 3%	अन्य	कुल योग
150	**9**	**1**	**1**	**1**	**17**	**29**	**2**	**0**	**0**	**0**	**4**	**6**	**6**	**0**	**1**	**1**	**13**	**21**	**28**	**2**	**5**	**3**	**58**	**94**

नोट :– उपरोक्त रिक्त पदो व आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण की संख्या घट–बढ़ सकती है। दोनो अध्याचनों के कुल रिक्त पद 203 की विज्ञप्ति व चयन प्रक्रिया उपरोक्तानुसार एक साथ किया जा रहा है। चयन उपरान्त अभ्यर्थी की श्रेष्ठता के आधार पर प्रथम अध्याचन मे रिक्त 53 पदों पर चयन किया जायेगा, शेष चयन द्वितीय अध्याचन के 150 अधिसंख्यक (अतिरिक्त) पदों पर किये जायेगें।

3. आवेदन पत्र जमा करने के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश–

1– एक अभ्यर्थी मात्र एक आवेदन पत्र प्रेषित कर सकता है। दो या अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के एक आवेदन पत्र को स्वीकार किया जायेगा दूसरे आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जिस आवेदन पत्र को स्वीकार किया गया है, उसमें किसी अभिलेख अथवा शुल्क आदि की कमी से आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) में निरस्त कर दिया जाता है

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा देहरादून (उत्तराखण्ड)

तो अभ्यर्थी का यह कथन/पत्राचार/अपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी की उसके दूसरे आवेदन पत्र पर समस्त अथवा आंशिक अभिलेख उपलब्ध थे। अभ्यर्थी को इस विज्ञप्ति के माध्यम से मात्र एक आवेदन–पत्र भेजने के लिये आमन्त्रित किया जा रहा है।

2– अभ्यर्थी मात्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा बैव साईट www.ukmssb.org से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्रों व संलग्नक ''क'' ''ख'' व ''ग'' के डाउनलोड किये गये प्रपत्रों को ही बोर्ड स्वीकार करेगा। अन्य किसी भी प्रकार से तैयार किये गये प्रपत्रों को बोर्ड द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

3– आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि **05 नवम्बर, 2016 सांय 5:00** बजे तक ही मान्य होगी। इसके उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। पंजीकृत डाक से प्राप्त आवेदन पत्र अन्तिम तिथि के सांय 5.00 बजे तक ही बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त किये जायेगें। सीधे कार्यालय में दस्ती (By Hand) कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेगे। इस संबंध में किसी प्रकार पत्राचार स्वीकार नही होगा।

4 – अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थिति पत्र (प्रपत्र–ग) के प्रेषण हेतु अपने स्वयं का पता लिखा हुआ एक लिफॉफा (11 इंच x5 इंच) जिसमें रू0 40/– के पोस्टल टिकट चिपका हुआ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

5– अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र व संलग्नकों को चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को **''सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय परिसर, डाण्डा लाखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड़, पो0 ओ0 गुजराड़ा देहरादून पिन–248013''** के पते पर स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से भेजेगें।

6–अभ्यर्थी आवेदन पत्र बन्द लिफाफे में पूर्ण पता व आवेदन पद नाम एवं आरक्षण का ब्यौरा लिफाफे के ऊपर अंकित कर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करेगा। अर्थात बन्द लिफाफे के ऊपर **''दन्त शल्यक पद हेतु आवेदन–पत्र आरक्षण श्रेणी..................''** लिखा जाना आवश्यक है।

7– आवेदन पत्र व संलग्नक प्रारूपों के सभी स्तम्भों में अभ्यर्थी से अपने से संबंधित विवरण अंकित करेगा, यदि उससे संबंधित नही है तो स्तम्भ में अपेक्षित नही (NA) लिखा जायेगा। कोई भी स्तम्भ खाली नही छोड़ा जायेगा। अभ्यर्थी के द्वारा निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा लगाया जाना अनिवार्य है। अधूरे व अस्पष्ट आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

8–आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्रों को संलग्न नही करेगा तथा वांछनीय शैक्षिक, तकनीकी योग्यताओं, अन्य प्रमाण पत्रों आदि की छायाप्रतियों को संलग्न करने से पूर्व स्वःप्रमाणित करना अनिवार्य है।

9– अभ्यर्थी को उसके आवेदन अभ्यर्थन तथा परीक्षा/साक्षात्कार की सूचना अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्नक (''ग'') स्वः लिखित लिफॉफे के पते पर ही भेजा जायेगा।

10– यदि अभ्यर्थी वर्तमान में केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हो तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. <u>दन्त शल्यक पदो हेतु शैक्षिक एवं अधिमान अर्हता निम्नवत् है :–</u>

<u>क– शैक्षिक अर्हता :–</u>

अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम बी0डी0एस0 (दन्त शल्य चिकित्सा स्नातक) की उपाधि या भारतीय दन्त परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता रखता

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून (उत्तराखण्ड)

हो, तथा भारत के किसी राज्य दन्त परिषद् में पंजीकृत हो। सेवा में चयनोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य दन्त परिषद् में पंजीकरण अनिवार्य होगा।

ख– <u>अधिमान अर्हता</u> :–

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में एसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम ''दो वर्ष'' की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

5. <u>आयु की गणना</u> –

अभ्यर्थी को 01 जुलाई 2016 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या –**107/XXX(2)/2014/55(41)2004** देहरादून दिनांक 25 फरवरी, 2014 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रविधानों के अनुसार 42 वर्ष होगी। उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त व्यक्तियों (चलनक्रिया संबंधी) एवं स्वतंत्रता संग्राम के अश्रितों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में अधिकतम आयु की गणना भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में निर्धारित मानको के अनुसार होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति का प्रमाण पत्र की मान्यता शासन द्वारा निर्धारित समय अवधि तक का मान्य होगा।

6. <u>वेतनमान</u> :– वेतनबैण्ड–3, सादृश्य वेतनमान रू0 15,600–39,100 ग्रेड पे रू0 5400 /–

7. वैवाहिक प्रास्थिति– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो:

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम प्रवर्तन से मुक्त कर सकती है, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

8. आरक्षण– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार के निर्गत आदेशों के अनुसार किया गया है। इन पदों पर चयन हेतु उत्तराखण्ड के अधिवासी महिलाओं, विकलांगजन, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रा संग्राम सेनानियों के आश्रितो को वर्तमान में लागू प्राविधानों के क्रम में शासन द्वारा निर्धारित क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति का प्रमाण पत्र की मान्यता शासन द्वारा निर्धारित समय अवधि तक का मान्य होगा।

9. शुल्क :– उक्त रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले अनारक्षित (सामान्य) व उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क **रू0 2000/–** एवं उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0), उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस0टी0) तथा उत्तराखण्ड विकलांग (दिव्यांग)/ उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क **रू0 1000/–** देय होगा।

अभ्यर्थी आवेदन शुल्क किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ''ड्राफ्ट'' के माध्यम से **<u>''उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून''</u>** के नाम का जो की देय कैनरा बैंक शाखा गुजराड़ा मानसिंह, सहस्त्रधारा रोड देहरादून पर होगा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। एक

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून (उत्तराखण्ड)

बार जमा किया शुल्क किसी भी दशा में वापस नही होगा। बिना शुल्क जमा किये गये आवेदन पत्र को प्रथम दृष्टिया अस्वीकृत किया जायेगा।

10. **राष्ट्रीयता** :– सेवा में भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारतीय नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई रूप से निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्व अफ्रीका देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त करें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद सेवा में तभी रखा जायेगा जबकि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

11. **चरित्र** :– सेवा के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगे।

टिप्पणी :– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगे।

12. **शारीरिक स्वस्थता** :– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नही है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् की स्वास्थ्य परीक्षा में सफल पाया गया हो।

13. योग्य अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में पदों का रिक्त रखा जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन/आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गयी लिखित सूचनाओं एवं शैक्षिक अभिलेखों के संबंध में अभ्यर्थी के चयन के उपरान्त भविष्य में किसी प्रकार के गलत तथ्य उद्घटित होते है, तो संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून (उत्तराखण्ड)

सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।